पत्र सं. 1392/का.प./2014 दि. 07.10.14

संख्या–28/2743/आठ–1–14–19विविध/08

प्रेषक,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

4. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2014**

विषय :सरकारी कर्मचारियों पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3485/37–2–3एच.बी.(27)/85 दिनांक 07.08.1985 एवं शासनादेश संख्या–4605/9–आ–5–93–545डी.ए./91, दिनांक 04.09.1993 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों को आवंटित भूखण्डो पर निर्धारित समय के अन्दर भवन का निर्माण न कराने पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि यदि किसी सरकारी सेवक द्वारा अपनी पत्नी के नाम आवास हेतु भवन/भूखण्ड आवंटित कराया जाता है तो अनिर्माण शुल्क से छूट की सुविधा सरकारी कर्मचारी की पत्नी को अनुमन्य नही होती है, जबकि विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के नियमों में पति एवं पत्नी एवं आश्रित/वयस्क संतानों में सें किसी एक के नाम अथवा दोनों के संयुक्त नाम से ही आवासीय भवन/भूखण्ड आवंटित किये जाने का प्राविधान है।

3– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 07.08.1985 एवं 04.09.1993 के क्रम में निम्नवत दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

"उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों के निर्माण में नियत अवधि से विलम्ब होने पर आरोपित होने वालो अनिर्माण शुल्क से राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पत्नी एवं पति में से किसी एक के सरकारी सेवा में होने पर, पति एवं पत्नी को एक यूनिट मानते हुए सम्पूर्ण उ0प्र0 में पति एवं पत्नी अथवा पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किसी एक भूखण्ड में अनिर्माण शुल्क से देय छूट का लाभ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि उसके द्वारा इससे पूर्व किसी सरकारी संस्था द्वारा आवंटित

भूखण्ड पर अनिर्माण शुल्क का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, प्रदान किया जायेगा। उक्त सुविधा का लाभ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी अनुमन्य होगा।''

4— यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में आरोपित अनिर्माण शुल्क जमा कराया जा चुका है, वह इससे प्रभावी नहीं होंगे।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3— निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाईट एवं एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव